रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012022-232650
CG-DL-E-14012022-232650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943
No. 15] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 15(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (4घ) और धारा 115कघ की उपधारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम, 21कञ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"21कञक. **अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के प्रयोजनों हेतु किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई के विनिधान अनुभाग के लिए मानी जा सकने वाली विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की संगणना**–(1) धारा 10 के खंड (4घ) के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट निधि में किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई के विनिधान अनुभाग के लिए मानी जा सकने वाली आय की संगणना, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:--

क+ख+ग+घ

जहां,- क = किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यताप्राप्त किसी शेयर बाजार को धारा 47 के खंड (viiकख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी पात्र विनिधान अनुभाग द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय है और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदत्त या संदेय है;

ख = उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों (भारत में स्थित किसी कंपनी के शेयरों से भिन्न) के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी पात्र विनिधान अनुभाग द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय;

ग = किसी अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों से किसी पात्र विनिधान अनुभाग द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय और ऐसी आय से भिन्न आय, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत न होती हो; और

घ = किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से किसी पात्र विनिधान अनुभाग द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय, जो 'कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य है"।

स्पष्टीकरण: मद क या मद ख या मद ग या मद घ में निर्दिष्ट आय उपार्जन या बनाने के प्रयोजनों हेतु कोई उपगत हुआ व्यय, अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन स्रोत या किसी अन्य क्रियाकलाप से आय से कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं होगी, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि यथास्थिति, मद क या मद ख या मद ग या मद घ में निर्दिष्ट आय के विरुद्ध कटौती के रूप में ऐसा व्यय अनुज्ञात नहीं किया गया है।

(2) पात्र विनिधान अनुभाग, नियत तारीख को या उससे पूर्व अंकीय हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रानिक रूप में प्ररूप सं0 10-झट में छूट प्राप्त आय के किसी वार्षिक विवरण को दिया जाएगा, जिसे उसमें उपदर्शित रीति में सम्यक् रूप से सत्यापित किया गया है।

(3) किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई का विनिधान अनुभाग, अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) की मद (II) के प्रयोजनों निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करेगा, अर्थात्:-

(क) यह विनिधान अनुभाग से संबंधित सभी संव्यवहारों के सही और स्पष्ट लेखें उपदर्शित करते हुए, रजिस्ट्रीकृत विनिधान अनुभाग हेतु पृथक् लेखे बनाएगा और जो यह सुनिश्चित करेगा कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय से संबंधित सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय और अन्य आय इन गतिविधियों के अनुपात के अनुसार उचित रूप से अभिलिखित और संगणित हैं;

(ख) यह खंड (क) में निर्दिष्ट लेखे विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व किसी एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षित कराएगा और ऐसा एकाउंटेट, उस तारीख तक प्ररूप सं0 10झठ में ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट अंकीय हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रानिक रूप में, जिसे उसमें उपदर्शित रीति में सम्यक् रूप से सत्यापित किया गया हो, प्रस्तुत करेगा;

(ग) यह निम्नलिखित के संबंध में उचित दस्तावेज अनुरक्षित रखेगा,-

(क) विनिधानों के क्रय और विक्रय हेतु अंत: प्रेषण; और

(ख) भारत में किए गए आवक प्रेषण का उपयोग;

(घ) यह रजिस्ट्रीकृत विनिधान अनुभाग के सभी लेखों का बैंक विवरण अनुरक्षित रखेगा;

(ङ) यह रजिस्ट्रीकृत विनिधान अनुभाग द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से संबंधित संविदा टिप्पण अनुरक्षित रखेगा; और

(च) यह अभिरक्षक द्वारा जारी प्रतिभूतियों का विवरण अनुरक्षित रखेगा।

(4) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) निम्नलिखित करेगा,-

(i) आंकड़े का सुरक्षित प्रग्रहण और प्रारेक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियां, प्रारुप और मानक विनिर्दिष्ट करना; और

(ii) प्ररुप संख्या 10-झट और प्ररुप संख्या 10-झठ के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों हेतु, पदों,-

(क) "एकाउंटेंट" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में उसका है;

(ख) ''नियत तारीख'' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(ग) "पात्र निवेश प्रभाग " से रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) के मद II के अधीन विहित शर्तों को पूरा करते हों, अभिप्रेत होगा;

(घ) "अपतटीय बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के स्पष्टीकरण (4घ) के खंड (कक) में दिया गया है;

(ङ) "रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग" से अपतटीय बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) के मद (I) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो;

(च) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (खख) में दिया गया है;

(छ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से निर्धारण वर्ष के पूर्व सुसंगत वर्ष के रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग के खाते के संबंध में, नियत तारीख से एक मास पूर्व की तारीख अभिप्रेत है;

(ज) "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में दिया गया है;

21कञकक. **अधिनियम की धारा 115 कघ की उपधारा (1ख) के अधीन अपतटीय बैंककारी इकाई के निवेश प्रभाग के कारण विनिर्दिष्ट निधि की आय का निर्धारण-** अधिनियम की धारा 115 कघ की उपधारा (1ख) के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट निधि की आय, एक अपतटीय बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग होने के कारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी, अर्थात् :-

क+ख+ग+घ+ड.+च

जहां,-

क = धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 112क में संदर्भित प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम स्वरुप और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित होगा;

ख = धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 112क में संदर्भित से अन्यथा और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित;

(ग) = धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित कम अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 111क में संदर्भित प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम स्वरुप और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित होगा;

(घ) = धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित कम अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 111क में संदर्भित से अन्यथा और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित 0;

(ड.) = अधिनियम की धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में संदर्भित प्रतिभूतियों से आय, अधिनियम की धारा 194 ठघ में संदर्भित हित की प्रकृति का होगा, पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित होगा;

(च) = प्रतिभूतियों से आय, पात्र निवेश प्रभाग दवारा धारित, अधिनियम की धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में यथासंदर्भित और उपरोक्त मद ड. में शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण: मद क या ख या ग या घ या ड. या च में संदर्भित आय प्राप्त करने या बनाने के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी व्यय को किसी अन्य गतिविधियों या स्त्रोत से आय से कटौती के रुप में अनुमति नहीं दी जाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा व्यय यथास्थिति मद क या ख या ग या घ या ड. या च में संदर्भित आय के विपरीत कटौती के रुप में अनुमति नहीं दी गई है।

(2) पात्र निवेश प्रभाग नियत तारीख को या उसके पहले अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रुप से ररु रुप से प्ररुप सं. 10-झट में अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1ख) के अधीन कराधान के लिए पात्र आय की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जो उसमें उपदर्शित रीति से सम्यक सत्यापित है।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, पद-

(क) "नियत तारीख" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 139 के उपखंड (1) के स्पष्टीकरण 2 में नियत किया गया है;

(ख) "पात्र निवेश प्रभाग " से रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) के मद II के अधीन विहित शर्तों को पूरा करते हों, अभिप्रेत हैं;

(ग) "अपतट बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के स्पष्टीकरण (4घ) के खंड (कक) में दिया गया है;

(घ) "रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग" से अपतटीय बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) के मद (I) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो;

(ङ) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में दिया गया है;

(च) "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में दिया गया है।

3. मूल नियम में, प्ररुप सं. 10-झञ के पश्चात् परिशिष्ट में, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप सं. 10-झट

[नियम 21कञक और नियम कञकक देखें]

नियम 21कञक के उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त आय की वार्षिक विवरणी और नियम 21 कञकक के उपनियम (2) के अधीन कर योग्य आय

क्रम सं.		
1.	विनिर्दिष्ट निधि का नाम (घोषणाकर्ता)	
2.	विनिर्दिष्ट निधि के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	
3.	विधिक स्थिति [कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व वाली भागीदारी/ निगमित निकाय]	
4.	स्थायी खाता संख्या:	
5.	पिछले वर्ष समाप्त:	
6.	स्थापना/निगमन की तारीख	ता ता मा मा व व व व
7.	प्रचालन के आरंभ होने की तारीख	ता ता मा मा व व व व
8.	1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के अधीन श्रेणी-I विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या	
	2. रजिस्ट्रीकरण की तारीख	ता ता मा मा व व व व
9.	क्या नियम 21अञअ के उप-नियम (3) द्वारा आज्ञापक रूप से शर्तों के अनुसार पूर्ण किया है	हाँ/नहीं

10.	अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त आय की गणना	
	किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर, इसके द्वारा आयोजित अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण से पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त आय और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुगतान या देय है;[अ]	(रुपए में)
	इसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के अंतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई आय (भारत में निवासी कंपनी के शेयरों के सिवाए);[आ]	(रुपए में)
	इसके द्वारा धारित और एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापना नहीं होने के कारण) द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों से पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न;**[इ]**	(रुपए में)
	एक प्रतिभूतिकरण न्यास से पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न, या प्राप्त की गई आय, जो "व्यापार या पेशे के लाभ और अभिलाभ के अधीन प्रभार्य है **[ई]**	(रुपए में)
	पात्र निवेश प्रभाग की आय **[अ+आ+इ+ई]**	(रुपए में)
11.	धारा 115कघ की उप-धारा (1ख) के अधीन कर योग्य आय की गणना	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 112क में निर्दिष्ट प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न, या प्राप्त की गई अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी लाभ के माध्यम से आय है और जो ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। **(अ)**	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 112क में प्रतिभूति के सिवाए, अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घावधि पूंजी लाभ के माध्यम से आय, और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। **(आ)**	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 111क में प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अल्पावधि पूंजी लाभ के माध्यम से आय, और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। **(इ)**	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 111क में प्रतिभूति के सिवाए, अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अल्पावधि पूंजी लाभ के माध्यम से आय, और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। **(ई)**	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 194ठड में निर्दिष्ट ब्याज की प्रकृति होते हुए	

	अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से आय, पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। **(उ)**	
	अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित प्रतिभूतियों से आय है और उपरोक्त मद ई में सम्मिलित नहीं है। **(ऊ)**	(रुपए में)
	पात्र निवेश प्रभाग की आय **[अ+आ+इ+ई+उ+ऊ]**	(रुपए में)

घोषणा

मैं, _____(नाम पूर्ण और बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए प्ररूप में जो कथन किया गया है वह सही और पूर्ण है;

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में ऐसा विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं यह घोषणा करने और यह विवरण प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान:

तारीख:

आपका विश्वासी,

हस्ताक्षर .....

नाम.....

पद.....

प्रपत्र सं. 10-झठ

[नियम 21 कञक देखें]

नियम 21कञक के उप-नियम (3) के अधीन एक लेखाकार द्वारा सत्यापन

सत्यापन

मैंने/हम _____ ने खाते की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है, जिसमें _____ के पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त आय का विवरण दिखाया गया है (अपतटीय बैंकिंग इकाई का नाम जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (4घ)के अधीन छूट प्राप्त है और/ या धारा 115कघ की उप-धारा (1ख) के अधीन रियायती दरों के लिए पात्र है।

2. इसके अतिरिक्त, मैं/हम पुष्टि करता हूं/करते हैं कि ..... (अपतटीय बैंकिंग इकाई का नाम) के पात्र निवेश प्रभाग ने निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया है:

क्र.सं.	शर्त	पूरी हुई या नही
(i)	इसने रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग के लिए अलग खाते बनाए हैं;	हां/नहीं
(ii)	इसने धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित खंड (i) में निर्दिष्ट खातों को प्राप्त किया है;	हां/नहीं
(iii)	इसने निवेशों को खरीदने और बेचने के लिए भीतर के प्रेषण से संबंधित उचित दस्तावेज बनाए रखा है;	हां/नहीं

(iv)	इसने भारत में किए गए आवक प्रेषण के उपयोग के संबंध में उचित दस्तावेज बनाए रखा है;	हां/नहीं
(v)	इसने रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग के सभी खातों का बैंक विवरण बनाए रखा है;	हां/नहीं
(vi)	इसने रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित करार नोट बनाए रखा है; और	हाँ/नहीं
(vii)	इसने अभिरक्षक द्वारा जारी प्रतिभूतियों का विवरण रखा है।	हां/नहीं

3. मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

_____

स्थान

(लेखाकार के नाम के साथ हस्ताक्षर)

तारीख _____।"।

[अधिसूचना संख्या 6/2022 एफ.सं. 370142/60/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 903(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 के अधीन अंतिम बार संशोधित किया गया था।